भामाब/वित्त/मुख्यालय/प्रपत्र (01) /2020

<u>भारतीय मानक ब्यूरो</u> वित्त विभाग

विषय: वर्ष 2019-20 के लिए आय कर परिकलन के प्रयोजन के लिए विवरण

यह परिपत्र हमारे परिपत्र संख्या BIS/FIN/HQ/CIRCULAR (06)/2019 दिनांक 15 मई 2019 के संदर्भ में है जिसके माध्यम से भा मा ब्यूरो के सभी कर्मचारियों/पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स, को निर्धारित प्रोफार्मा में अपनी बचत के ब्यौरे प्रस्तुत करने का अनुरोध दिया गया था ।

This has reference to our circular Number BIS/FIN/HQ/CIRCULAR (06)/2019 dated 15 May 2019 vide which all employees/pensioners/family pensioners of BIS, were requested to furnish the particulars of their savings in the prescribed Proforma.

प्रपत्र 48 घोषणा के अनुसार, आय कर के प्रयोजन के लिए बचत के विवरण का प्रमाण वित्त विभाग को जमा कराना आवश्यक होता है, अन्यथा आय कर की गणना फार्म 48 में उल्लेखित बचत विवरण के बिना कर ली जाती है ।

As per Form 48 declaration, it is mentioned that the proof of the details of saving for the purpose of income tax shall reach Finance Department, failing which tax shall be calculated without taking into account the savings mentioned in Form 48.

इस संबंध में यह निर्णय लिया गया है कि जिन कर्मचारियों ने अभी तक बचत का प्रमाण पत्र वित्त विभाग को जमा नहीं कराया है, उन्हें एक अंतिम अवसर दिया जा रहा है । वे सभी कर्मचारी बचत के प्रमाण पत्र या तो ईमेल के माध्यम से या फिर हार्ड कॉपी के माध्यम से 22 जनवरी 2020 तक जमा करा सकते हैं, अन्यथा उन बचत विवरणों को ध्यान में नहीं रखा जाएगा और आय कर की पुन: गणना की जाएगी और तदनुसार जनवरी/फरवरी 2020 के वेतन से आय कर की कटौती की जायेगी ।

In this regard, it is stated that the form 16 has been made live for viewing by the concerned employee and it has been decided to give the opportunity to all the employees who have not yet submitted the proof of the savings can submit the same by 22 January 2020 either through email or by hard copy to Finance Department, failing which the exemption of tax saving will not be taken into account and the income tax shall be re-calculated and accordingly deducted from the salary of January/February 2020.

हस्ता (गुरप्रीत सिंह) निदेशक (वित्त)

हमारा संदर्भ: वित्त/2.37/आय कर/2019-20

दिनांक : 07 जनवरी 2020

परिचालित सेवा में भा मा ब्यूरो इंटरनेट के माध्यम से :

- सभी क्षेत्रीय कार्यालय / शाखा कार्यालय / प्रशिक्षण संस्थान / केंद्रीय प्रयोगशाला के प्रमुख
- मुख्यालय के सभी विभागों के प्रमुख
- भा मा ब्यूरो के सभी अधिकारी एंवम कर्मचारी
- भा मा ब्यूरो के सभी पेंशनर और पारिवारिक पेंशनर

प्रतिलिपि - जानकारी के लिए :

• महानिदेशक/अपर महानिदेशक/मुख्य सतर्कता अधिकारी/सभी उपमहानिदेशक

सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग - भारतीय मानक ब्यूरो के इंट्रानेट पर रखने के लिए